

वित्त निर्देश 18/2011

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

मांक 825/एल-6-6/2010/वित्त/ब-4/चार,

रायपुर, दिनांक 13 मई, 2011

ते,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त जिलाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ ।

षय:-

नई सेवा/सेवा का नया साधन-निर्धारित वित्तीय सीमाओं में संशोधन ।

दर्भ:-

1. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 216/चार/ब-1/95, दिनांक 10 मार्च, 1995
2. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 793/चार/ब-1/96, दिनांक 05 जून, 1996
3. वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 1128/1480/चार/ब-1/98, दिनांक 19 अगस्त, 1998

व्यय के किसी वर्ग को विशिष्ट रूप से विधानसभा की जानकारी में लाये ना खर्च नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसकी पूर्ति अकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर जाना प्रस्तावित न की गई हो । किसी व्यय को नई सेवा या सेवा के नये साधन के रूप में अर्थात् व्यय की नई मद के रूप में माने जाने के लिए इस विभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा वित्तीय सीमाये निर्धारित की गयी थी । उक्त ज्ञापनों में अंकित सीमाओं को अधिकमित करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अनुमोदन, नवीन वित्तीय सीमाएं और मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

स्थापना

वे प्रस्ताव जिनमें वित्तीय व्यय 50.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,

टिप्पणी:- किसी विभागाध्यक्ष-स्थापना अथवा विभागाध्यक्ष न होने की स्थिति में शासन संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी विशिष्ट बजट शीर्ष से किये जाने वाले व्यय के बिंध में ऊपर उल्लेखित सीमा एक पूरे वर्ष में नवीन स्वीकृत स्थापना पर होने वाले संचयी व्यय पर लागू होगी ।

2. वेतनमानों का पुनरीक्षण

यदि केवल कुछ विशेष पदों अथवा एक वर्ग में सम्मिलित सभी पदों के वेतन पुनरीक्षण का प्रभाव किसी एक पूरे वर्ष में 50.00 लाख से अधिक न हो तो वह नई सेवा नहीं होगी, किन्तु, यदि यह 50.00 लाख से अधिक हो, तो "नई सेवा" मानी जायेगी।

टिप्पणी:- वेतनमानों के पुनरीक्षण के उद्देश्य से नियुक्त वेतन आयोग/समिति की अनुशंसाओं के फलस्वरूप यदि वेतनमान पुनरीक्षित किये जाते हैं तो यह नई सेवा नहीं होगी, तथापि ऐसे वेतन आयोग/समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करने संबंधी निर्णय विधान सभा के ध्यान में लाया जायेगा।

वाहन

निष्प्रयोजन घोषित वाहन के बदले में क्रय किये गये वाहन (प्रतिस्थापित) को छोड़कर (मोटो शक्ति या आंतरिक दहन इंजन से चलित) वाहनों का क्रय नई सेवा माना जावेगा। निष्प्रयोजन घोषित वाहनों को नीलामी/विक्रय से प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा करने के बाद प्रतिस्थापित करना "नई सेवा" नहीं माना जावेगा।

कार्यालय व्यय

सामान्य कार्यालय सामग्री और व्यय जो निम्नांकित टिप्पणी में वर्णित है, पर प्रत्येक कार्यालय हेतु 2.00 लाख वार्षिक से अधिक व्यय "नई सेवा" माना जावेगा।

टिप्पणी:- कार्यालयीन व्यय में वे सभी आकस्मिक खर्चे, जो एक कार्यालय को चलाने लिये आवश्यक हैं, सम्मिलित हैं, जैसे फर्नीचर, टाइप रायटर, डुप्लीकेटर्स, टेलीफोन, रकाम, केलक्यूलटर, बिजली के पंखे, सायकिल, स्टील रेक या आलमारी पर्दे इत्यादि, कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर, फेक्स, टेलीप्रिंटर, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, रूम कूलर तथा फोटोपीयर को कार्यालयीन व्यय माना जावेगा।

उपरोक्त वस्तुओं को निष्प्रयोजन घोषित कर उनकी नीलामी और विक्रय-राशि को शासन के खाते में जमा करने के बाद बदलना "नई सेवा" नहीं माना जावेगा।

आयोग और समितियां

कोई समिति/आयोग (वैधानिक अथवा अन्य प्रकार की) जिसके गठन/नियुक्ति के प्रथम में वार्षिक व्यय 10.00 लाख से अधिक हो "नयी सेवा" होगा।

6. मेला अथवा प्रदर्शनी इत्यादि

प्रत्येक प्रकरण में निम्नानुसार सीमा से अधिक व्यय "नई सेवा" माना जावेगा:-

जिला स्तरीय मेला	10,00,000
संभाग स्तरीय मेला	25,00,000
राज्य स्तरीय मेला	50,00,000
राज्य के बाहर मेला	1,00,00,000
प्रचार-उद्देश्य से पुस्तिका/ विज्ञापन का प्रकाशन, फिल्म-निर्माण/सिनेमा स्लाइड तैयार करना इत्यादि	प्रत्येक प्रकरण में 1,00,000 से अधिक व्यय

7. डिकीधन का भुगतान

इस श्रेणी के लिये बजट में भारित व्यय के रूप में एक मुश्त प्रावधान किया जा सकता है। जब प्रावधान समाप्त हो जाए तो अधिकांश ग्रांट्स में वह पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता, ऐसे प्रकरणों में पूरक विनियोजन अथवा आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के बाद ही अतिरिक्त व्यय किया जा सकता है, इस प्रकार के व्यय का वे सभी मदें जो 5.00 लाख से अधिक की हों, विशिष्ट रूप से विधान सभा की जानकारी में लाई जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिए 5.00 लाख से अधिक का व्यय "नई मद" माना जावेगा।

8. सहायक अनुदान

1. सामाजिक क्षेत्र में दिये जाने वाले आवर्ती/अनावर्ती अनुदान - 5.0 लाख से अधिक
2. अन्य सभी प्रकार के आवर्ती अनुदान 1.0 लाख से अधिक
3. अन्य सभी प्रकार के अनावर्ती अनुदान 2.0 लाख से अधिक

टिप्पणी:- (1) ऐसा अनुदान जो पहले कभी न दिया गया हो या ऐसे उद्देश्य जिस के लिए पहले अनुदान कभी न दिया गया हो, वह चाहे, कितनी भी राशि का हो "नई सेवा" मान्य होगा।

सब्सिडी

1. खाद्य सब्सिडी - 2 करोड़ से अधिक
2. अन्य सब्सिडी - 10 लाख से अधिक

10. निर्माण कार्य

1. 1 करोड़ से अधिक के प्रत्येक कार्य या एक ही प्रकार के कार्य समूह के लिये जो एक ही प्रकार/आकार के हों तथा एक साथ किये जा रहे हों, नवीन मद होगा (उदाहरणार्थ- 100 क्वार्टर्स का निर्माण) यह उन सभी कार्यों पर लागू होगा जो लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग या अन्य किसी कार्य विभाग द्वारा कराए जाएंगे। प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग सुनिश्चित करेंगे कि :-

(i) विधान सभा में पारित करने के लिये प्रस्तुत बजट में "व्यय की नवीन मदें" विशिष्टतः / स्पष्टतः दर्शाई जावेगी।

(ii) प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के तहत किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रत्येक स्वीकृति आदेश में इस विषयक एक प्रमाण-पत्र अंकित किया जावेगा कि:-

(अ) इस स्वीकृति आदेश में सम्मिलित कोई भी व्यय वित्त विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेशों के अंतर्गत "व्यय की नवीन मद" की श्रेणी में नहीं आता है, अथवा

(ब) इस स्वीकृति आदेश द्वारा स्वीकृत व्यय (विवरण दिये जाये) "व्यय की नवीन मद" की श्रेणी में आते हैं और इसके लिये

(क) विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, या

(ख) आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया गया है, और

(iii) इस उद्देश्य के लिये समुचित बजट प्रावधान उपलब्ध है।

11. सामग्री आपूर्ति

सामग्री आपूर्ति मद में कय की गयी अनावर्ती सामग्री जो कार्यालय व्यय की श्रेणी में नहीं आती है, प्रत्येक संस्था के लिये ₹ 4.00 लाख से अधिक का व्यय नवीन मद होगा।

टिप्पणी:- सामग्री और आपूर्ति के अंतर्गत किये जाने वाले प्रावधान यदि योजना में नवीन मद के रूप में प्रावधानित है तो इन्हें पृथक् से नवीन मद की श्रेणी में नहीं रखा जावेगा जैसे शाला, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल प्रारंभ करने हेतु लगने वाली सामग्री।

12. मशीनें एवं उपकरण

यदि मुख्य बजट/पूरक मांग में मदवार/वस्तुवार बजट प्रावधान किया गया है तो ऐसे कार्य जिनके लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो या जो पिछले वर्षों के बकाया स्वरूप के कार्य हों, के लिये औजार, प्लांट तथा अन्य आवश्यक मशीनों या निर्माण उपकरणों पर होने वाला व्यय "नवीन मद" नहीं माना जावेगा, चाहे लागत कितनी भी हो। अन्य सभी प्रकरणों में, ऐसे कय जिनमें व्यय ₹ 50.00 लाख से अधिक हो "व्यय की नवीन मद" माने जावेगे, बजट में व्यय का एक मुश्त अर्थात् कय की जाने वाली मशीनों इत्यादि की संख्या किस्म बताये बिना, प्रावधान किया जाना कड़ाई के साथ हतोत्साहित किया जावेगा।

13. शासकीय कम्पनियों (सार्वजनिक उपक्रमों सहित) तथा विभागीय उपक्रमों में पूंजी निवेश और दिये जाने वाले ऋण

(अ) नई शासकीय कम्पनी की स्थापना अथवा दो या दो से अधिक शासकीय कम्पनियों का एकीकरण "सेवा की नई मद" होगा।

(ब) किसी वर्तमान उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम में अतिरिक्त पूंजी निवेश अथवा वित्तीय संस्थाओं को दिये गये ऋण निम्नानुसार परिस्थिति में व्यय की नवीन मद होगे:-

यदि गत वित्तीय वर्ष के अंत में उस इकाई में शासन का कुल पूंजीनिवेश:-

(i) 5.0 करोड़ से अधिक नहीं है,

तो एक करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्तावित पूंजीनिवेश "नई सेवा" माना जावेगा।

(ii) 5.0 करोड़ से अधिक किन्तु 15 करोड़ से अधिक नहीं है,

तो 3.0 करोड़ से अधिक का प्रस्तावित पूंजीनिवेश "नई सेवा" माना जावेगा।

(iii) 15 करोड़ अधिक,

तो गत वित्तीय वर्ष के अंत में उस इकाई में कुल पूंजीनिवेश का 15 प्रतिशत या अधिक का प्रस्तावित निवेश "नई सेवा" माना जावेगा।

(स) सभी अल्पावधि ऋण (कार्यशील पूंजी सहित) जिनकी वसूली पांच वर्ष के अंदर की जानी है, "नई सेवा" माने जावेंगे।

14. निजी कम्पनियों/उपक्रमों में पूंजीनिवेश और उन्हें दिये जाने वाले ऋण

निम्नलिखित को "व्यय की नवीन मद" माना जावेगा:-

(i) निजी कम्पनियों/उपक्रमों में प्रथमबार किया गया पूंजीनिवेश तथा उन्हें प्रथमबार दिये गये ऋण, चाहे राशि कुछ भी हो।

(ii) निजी कम्पनियों/उपक्रमों जिनमें शासन पहले से ही शेयर होल्डर है, में निम्नलिखित रूप में किया गया पूंजीनिवेश तथा दिया गया ऋण-

(अ) 5.00 लाख से अधिक के साधारण शेयरों की खरीदी,

(ब) 10.00 लाख से अधिक के ऋण

(स) शासकीय कम्पनियों द्वारा निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम का गठन नई सेवा माने जावेगे।

टिप्पणी:- किसी निजी कम्पनी के, जिसमें शासन पहले से ही शेयर होल्डर है, राइट्स/बोनस शेयरों की खरीदी "नवीन मद" नहीं होगी।

15. सहकारी संस्थाओं में अंशपूँजी और /या ऋण के रूप में निवेश

(i) अपैक्स स्तरीय संस्थाएं - 1.0 करोड़ से अधिक

(ii) जिला स्तरीय बैंक और सहकारी संस्थाएं - प्रत्येक प्रकरण में 40 लाख

(iii) अन्य सभी संस्थाएं-प्रत्येक प्रकरण में 5.0 लाख

टिप्पणी:- 10.00 लाख से अधिक के सभी अल्पावधि ऋण "नवीन मद" होंगे जब तक कि -

(अ) भारत शासन से तत्स्थानी ऋण प्राप्त करने के बाद नहीं दिये गये हों, या

(ब) जो तकाबी ऋण के स्वरूप के न हों

16. स्थानीय निकायों को लोक निर्माण कार्य हेतु ऋण और/या अनुदान

(i) प्रत्येक प्रकरण में 20 लाख से अधिक ऋण तथापि, विधि द्वारा स्थापित किसी स्थानीय संस्था/प्राधिकरण को दिये गए 20 लाख से अधिक के अग्रिम/ऋण जो राज्य शासन की ओर से किसी लोक निर्माण कार्य सम्पन्न करने के लिये दिये गये हों, "व्यय की नवीन मद" नहीं होंगे।

(ii) प्रत्येक प्रकरण में 10.00 लाख से अधिक के अनुदान।

17. स्थानीय संस्थाएँ /व्यक्ति आदि को दिये गये ऋण और अग्रिम

(i) प्रत्येक प्रकरण में 25 लाख से अधिक - जब ऋण ब्याज सहित हो और प्रथम बार दिया गया हो तथा जब ऋण ब्याज रहित हो तो 5 लाख से अधिक के सभी प्रकरण।

(ii) कोई ऋण जो इस प्रकार का हो कि पूर्व में कभी न दिया गया हो, चाहे कितनी भी राशि का हो नवीन मद होगा।

18. नई योजनाएं

कोई भी नई योजना जो ऊपर पैरा (1) से (17) के बीच न आई हो, नवीन मद होगा।

19. सामान्य

(एक) किसी योजना को जिसके लिये बजट में "नई सेवा" के रूप में प्रावधान रखा गया हो लेकिन उसको उसी वर्ष के दौरान क्रियान्वित न किया जा सका हो, अगर उसे अगले वर्ष में हाथ में लिया जाता है तो सिर्फ इसलिये ही उसे "नई सेवा" नहीं मान लिया जायेगा।

(दो) फर्नीचर, उपकरण, मोटर वाहनो और मशीनो के प्रतिस्थापन "नई सेवा" न होंगे ।

20. सेवा के वर्गीकरण तथा प्रकार में तब्दीली

(क) जहां व्यय किसी वर्तमान सेवा पर किया जाना हो लेकिन बजट प्रावधान गलती से किसी दूसरे शीर्ष के अधीन रख दिया गया हो अथवा लेखावर्गीकरण में तब्दीली के कारण व्यय को दूसरे शीर्ष के अधीन करना पड़ा हो, वहां ऐसा व्यय "नई सेवा" न होगा ।

(ख) जहां "राजस्व" के अधीन प्रावधान समर्पित कर दिये जाये और उतना ही व्यय "पूंजी" के अधीन किया जाना प्रस्तावित हो अथवा इसका विषय हो तो उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 19 तक के अनुदेश यह निश्चित करने के लिए लागू किए जाएंगे कि क्या प्रस्तावित व्यय "नई मद" है या नहीं ।

2. "नई सेवा के उपर्युक्त पुनरीक्षित मापदण्ड, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (संघटन एवं कार्यप्रणाली) के ज्ञापन क्रमांक 221-141-एक-ओ. एण्ड एम., दिनांक 19 नवम्बर, 1959 द्वारा जारी किये गये आदेशों के पैरा 3 के स्थान पर स्थापित होंगे, उस ज्ञापन के अन्य पैराग्राफों में अंतर्विष्ट आदेश अपरिवर्तित रहेंगे ।

3. ये अनुदेश आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अजय सिंह)

प्रमुख सचिव

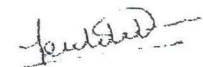
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 826/एल-6/2/ब-4/चार,

रायपुर, दिनांक 13 मई, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(प्रशांत लाल)

शोध अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग